# झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद/ अपीलवाद संख्या......08....... वर्ष 20..24....

विविधवाद/ प्रथम अपील

वाद प्रारंभ की तिथि
28.02.2024.

बनाम

अपीलकर्त्ता श्री कार्तिक सरदार
पिता-स्व० परेश सरदार, ग्रा०-गोभिया साई, पो०- हल्दी पोखर, थाना - कोवाली, जिला - पूर्वी सिंहभूम

प्रतिवादी जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम ।

| आदेश की तिथि | हस्ताक्षरयुक्त आदेश | कार्यालय अभ्युक्ति |
|---|---|---|
| | | |

| आदेश की तिथि | हस्ताक्षरयुक्त आदेश | कार्यालय अभ्युक्ति |
|---|---|---|
| 28.02.24. | **वाद सं0–08 / 2024**<br>परिवादी श्री कार्तिक सरदार, पिता–स्व0 परेश सरदार, ग्राम–गोमिया साई, पो0–हल्दी पोखर, थाना–कोवाली, जिला–पूर्वी सिंहभूम का परिवाद पत्र व्हाटसएप्प के माध्यम से आयोग को प्राप्त हुआ है।<br>परिवादी द्वारा सूचित किया गया है कि उनके द्वारा दिनांक–30.11.2023 को आयोग के व्हाटसएप्प पर विगत दो माह से राशन नहीं मिलने की शिकायत की गई थी जिसे आयोग द्वारा पत्रांक–WA/885/2023 दिनांक–03.11.2023 द्वारा कार्रवाई हेतु प्रेषित किया गया था। परिवादी का आरोप है कि उनके द्वारा समर्पित शिकायत पत्र पर ना तो जिला आपूर्ति पदाधिकारी और ना ही जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई की गई। बल्कि साजिश के तहत् उनके राशन कार्ड सं0–202006350802 को Delete कर दिया गया।<br>परिवादी द्वारा अपने राशन कार्ड को पुनः चालू कराने एवं कार्ड Delete करने वाले अधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई का अनुरोध किया गया है।<br>प्राप्त परिवाद पत्र पर आयोग स्तर से सुनवाई किये जाने का निर्णय लिया जाता है। इस हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक–11.03.2024 को निर्धारित की जाती है।<br>प्रस्तुत मामले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम को प्रतिवादी बनाया जाय। प्राप्त परिवाद–पत्र की प्रति प्रतिवादी को भेजते हुए उक्त सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम को सशरीर आयोग कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करें।<br>दिनांक–11.03.2024 को अपराह्न 12:00 बजे रखें।<br><br>**(शबनम परवीन)**<br>सदस्य,<br>झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,<br>राँची।<br><br>**(हिमांशु शेखर चौधरी)**<br>अध्यक्ष,<br>झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,<br>राँची। | |

C:\Users\PC-06\Dropbox\Anju\आदेश . . . docx190